

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 48/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. रोड़ा पिता खेती डांगी, निवासी सोमाखेड़ा (मृतक) के बजाय :-
  - 1/1. शिवलाल पिता रोड़ा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
  - 1/2. श्रीमती कंकुबाई पत्नी रोड़ा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
  - 1/3. श्रीमती देउबाई पुत्री रोड़ा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. खेमा पिता वीरजी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
2. धन्ना पिता मावा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
3. हरजी पिता मावा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
4. खेमा पिता मावा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
5. खेमा पिता मावा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती वाली पत्नी रोड़जी पुत्री नाथू जी डांगी, निवासी आवरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती लाली पत्नी नारूलाल जी पुत्री नाथू जी डांगी, निवासी बोरिया, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती मनु पत्नी पेमाराम जी पुत्री नाथू जी डांगी, निवासी बोरिया, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती रूपी बेवा नाथू जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा हाल कुराबड़, जिला उदयपुर।

.....रेस्पोंडेन्टगण



(2) प्रकरण संख्या 49/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. रोड़ा पिता खेती डांगी, निवासी सोमाखेड़ा (मृतक) के बजाय :-
  - 1/1. शिवलाल पिता रोड़ा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
  - 1/2. श्रीमती कंकुबाई पत्नी रोड़ा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
  - 1/3. श्रीमती देउबाई पुत्री रोड़ा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. खेमा पिता वीरजी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
2. धन्ना पिता मावा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
3. हरजी पिता मावा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
4. खेमा पिता मावा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
5. खेमा पिता मावा जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती वाली पत्नी रोड़जी पुत्री नाथू जी डांगी, निवासी आवरा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती लाली पत्नी नारूलाल जी पुत्री नाथू जी डांगी, निवासी बोरिया, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती मनु पत्नी पेमाराम जी पुत्री नाथू जी डांगी, निवासी बोरिया, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती रूपी बेवा नाथू जी डांगी, निवासी सोमाखेड़ा, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा हाल कुराबड़, जिला उदयपुर।

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ.1955  
 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड, गिर्वा प्रारम्भिक  
 डिक्री दिनांक 06.07.2010 व अंतिम डिक्री  
 दिनांक 21.01.2014 प्रकरण सं. 134/2007

- उपस्थित :-
- 1- श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्तगण
  - 2- श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
  - 3- श्री महेन्द्र मेनारिया अभिभाषक रेस्पो. सं. 3
  - 4- श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रे.सं. 6 से 8

-----  
**निर्णय**

**दिनांक 30-05-2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सोमाखेडा में परिशिष्ट "क" में अकित आराजी नंबर 601, 716, 717 कुल कित्ता 3 रकबा 0.6200 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट "ख" में अकित आराजी नंबर 11 से 25 कुल कित्ता 15 रकबा 1.7000 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 से 8 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। पक्षकारान इसी प्रकार उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06-07-2010 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 21-01-2014 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06-07-2010 से रूष्ट होकर अपीलान्त प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा अपील संख्या 48/2023 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 21-01-2014 के विरुद्ध अपील संख्या 49/2023 इस न्यायालय में दिनांक 10-07-2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 134/2007 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने तथा पक्षकारान समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोड़ा के नाम दिनांक 18-07-2007 को जारी तामिल किसी खेमा के नाम के व्यक्ति ने रोड़ा का भाई कहकर तामिल करायी, जबकि वादी का कोई भाई खेमा नहीं है। अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 9 रोड़ा की कभी भी तामिल नहीं हुई। रेस्पोंडेन्टगण द्वारा मौके पर निर्माण सामग्री इकठ्ठा कर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करने पर पटवारी हल्का से पता किया तो विभाजन की जानकारी हुई, जिस पर दिनांक 06-07-2023 को नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपीलें प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्ध अपील करीब 13 वर्ष विलम्ब से एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध अपील करीब 9½ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा विलम्ब के जो कारण अपीलान्त/प्रार्थीगण द्वारा बताये गये हैं, वह न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही पर्याप्त कारण है। अतः अपीलें बेरुन मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने तमाम निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त के पिता रोड़ा के नाम दिनांक 18-07-2007 को जारी तामिल किसी खेमा के नाम के

व्यक्ति ने रोड़ा का भाई कहकर तामिल करायी, जबकि खेमा नाम का रोड़ा के कोई भाई नहीं है। खेमा जो स्वयं वादी है ने तामिल कुनिन्दा से मिली भगत कर स्वयं रोड़ा की तामिल प्राप्त कर ली, जिससे अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 9 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। विभाजन में अपीलान्ट को एक बीघा भूमि कम दी गयी है, जबकि पटवारी हल्का या तहसीलदार को इस प्रकार का विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट के पिता रोड़ा के खाते में विभाजन में 0.2850 हैक्टर भूमि आनी चाहिए थी, जबकि उसे मात्र 0.0850 हैक्टर भूमि ही दी गयी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, वह प्रतिवादी अपीलान्ट के पिता रोड़ा के अनुपस्थिति में जारी की गयी है। जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 में परिशिष्ट "ख" में अकित आराजी नंबर 11 से 25 कुल कित्ता 15 रकबा 1.7000 हैक्टर में अपीलान्ट के पिता प्रतिवादी संख्या 9 रोड़ा का 1/6 हिस्सा दर्ज है, ऐसी स्थिति में उसका हिस्सा 0.2840 हैक्टर के लगभग बनता है, जबकि विभाजन में उसके हिस्से में मात्र 0.0850 हैक्टर भूमि ही रखी गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06-07-2010 एवं अंतिम डिक्री 21-01-2014 अपास्त जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को अपना पक्ष

प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करें तत्पश्चात् पक्षकारान की उपस्थित स्वयं तहसीलदार मौके पर फर्द बंटवारा तैयार कर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29-07-2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30-05-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर